2016/63

FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
नाथू पुत्र बिरदा खां जाति मुसलमान लुहार निवासी खारचियां तहसील जैतारण जिला पाली		दयाल पुत्र जयराम जाति जाट निवासी लिलिया तहसील मेड़ता जिला नागौर वगैराह

किस्म मुकदमा राजस्व मुन्तकिल **प्रार्थना** पत्र **संख्या...** 86 **सन्** 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख मे जारी हुए
25.10.2016	प्रार्थी ने यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र धारा 235 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत सहायक कलक्टर रियांबड़ी के यहां विचाराधीन मुकदमा नम्बर 76/2016 बीरदा बनाम दयाल वगैराह की पत्रावली को मुन्तकिल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पैरावाईज टिप्पणी तलब हो। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एवं बकाया साधारण डाक से जारी होकर तलब हो। पत्रावली दिंनाक 21.11.2016 को पेश हो। जिला कलक्टर,नागौर	
21.11.16	वकील प्रार्थी उप०। ज्ञात आदेशानुसार अप्रार्थीगण के नोटिस पेश होने पर जारी हो तथा LC से पैरावाईज टिप्पणी तलब होकर पत्रावली दिनांक 19/12/16 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
19/12/16	वकलाय उपस्थित। श्रीमान् पी.ओ.साहब आज । मिड कैरियर ट्रेनिंग में बाहर पधारे हुए है। पत्रावली दि.....16/1/17.....को पेश हो।	
16/1/17	वकील प्रार्थी उप०। उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी से प्रकरण मे पैरावाईज टिप्पणी चाही गई, जिसके क्रम मे उनके द्वारा पत्रांक-राजस्व/16/1061 दिनांक 15-12-16 से अवगत कराया है कि मुकदमा अनवान बिरदा बनाम दयाल 76/08 का निर्णय दिनांक 13.10.16 को ही हो चुका है। पत्र दिनांक 15-12-16 शा.मि. है। वकील प्रार्थी द्वारा सहायक कलक्टर रियांबड़ी के यहां विचाराधीन मुकदमा सं. 76/08 बिरदा खां बनाम दयाल वगैराह किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु प्रार्थना प्रस्तुत किया है। उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी के [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का अब कोई औचित्य नहीं रहने से प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र सारहीन हो गया है। अतः प्रार्थी के मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं होकर सारहीन हो जाने के आधार पर प्रार्थी का यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति अधिनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (राजन विशाल) कलक्टर, नागौर